



झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

स्वीकृत्यादेश संख्या-09/बजट(SDMF)-11/2022-3432-वी आ०प्र०, राँची, दिनांक-30.03.2026
सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
झारखण्ड।

विषय - वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य शीर्ष-2245 अंतर्गत वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-13(11)/FCD/2025-26-(E), दिनांक-27.03.2026 द्वारा विमुक्त राज्य आपदा शमन निधि (State Disaster Mitigation Fund) के प्रथम एवं द्वितीय किस्त केन्द्रांश 131,60,00,000/- (एक सौ इकतीस करोड़ साठ लाख) रुपये, इसके संगत राज्यांश 43,80,00,000/- (तीतालीस करोड़ अस्सी लाख) रुपये सहित कुल 175,40,00,000/- (एक सौ पचहत्तर करोड़ चालीस लाख) रुपये मात्र को राज्य आपदा शमन निधि के मुख्य शीर्ष-8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-130-राज्य आपदा शमन निधि, उप शीर्ष-01-राज्य आपदा शमन निधि, विस्तृत शीर्ष-08-लेखा समायोजन, 66-अंतः लेखा अंतरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजटीय उपबंध से अंतरण की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य शीर्ष-2245 अंतर्गत वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-13(11)/FCD/2025-26-(E), दिनांक-27.03.2026 द्वारा विमुक्त राज्य आपदा शमन निधि (State Disaster Mitigation Fund) के प्रथम एवं द्वितीय किस्त केन्द्रांश 131,60,00,000/- (एक सौ इकतीस करोड़ साठ लाख) रुपये, इसके संगत राज्यांश 43,80,00,000/- (तीतालीस करोड़ अस्सी लाख) रुपये सहित कुल 175,40,00,000/- (एक सौ पचहत्तर करोड़ चालीस लाख) रुपये मात्र को राज्य आपदा शमन निधि के मुख्य शीर्ष-8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-130-राज्य आपदा शमन निधि, उप शीर्ष-01-राज्य आपदा शमन निधि, विस्तृत शीर्ष-08-लेखा समायोजन, 66-अंतः लेखा अंतरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजटीय उपबंध से अंतरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त स्वीकृत राशि वित्त विभाग के पत्रांक-338/बजट दिनांक-28.03.2025 द्वारा उपबंधित राशि एवं पत्रांक-855/बजट दिनांक-15.12.2025 द्वारा द्वितीय अनुपूरक आगणन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 के निम्न वर्णित बजट शीर्ष के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगी:-

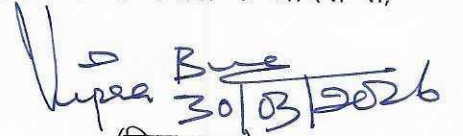
मुख्य शीर्ष-2245, उप मुख्य शीर्ष-08, लघु शीर्ष-101 उप शीर्ष-01 के अंतर्गत	स्वीकृत राशि (रुपये लाख में)
उप शीर्ष-01-राज्य आपदा शमन निधि (केन्द्रांश) विपत्र कोड-39-C-2245-08-101-01-00-08-66	13160.00
उप शीर्ष-01-राज्य आपदा शमन निधि (राज्यांश) विपत्र कोड-39-S-2245-08-101-01-00-08-66	4380.00
कुल योग-	17540.00

[Signature]
30/03/2026

A

4. स्वीकृत राशि 175,40,00,000 /— (एक सौ पचहत्तर करोड़ चालीस लाख) रुपये मात्र की निकासी अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी। विहित प्रक्रिया के अंतर्गत राशि कोषागार चालान के माध्यम से मुख्य शीर्ष—8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, उप मुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—130—राज्य आपदा शमन निधि, उप शीर्ष—01—राज्य आपदा शमन निधि, विस्तृत शीर्ष—08—लेखा समायोजन, 66—अंतः लेखा अंतरण में अंतरित की जाएगी।
5. इस प्रक्रिया में राशि की वास्तविक निकासी नहीं होगी बल्कि मात्र पुस्त अन्तरण के द्वारा राशि का स्थानान्तरण होगा।
6. एतद् प्रकार से अन्तरित निधि के लेखा संधारण महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची के द्वारा किया जाएगा एवं राज्य आपदा राहत कोष समिति, महालेखाकार की सहमति से आवश्यक सब्सिडियरी लेखा का संधारण कर सकेगी।
7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
8. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

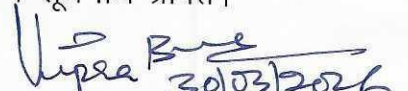

(विप्रा भाल)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक:—09/बजट(SDMF)—11/2022—343(स्वी०)आ०प्र०, राँची, दिनांक—30.03.2026

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित —

1. अवर सचिव—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची।
2. सचिव कोषांग, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची।
3. वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखण्ड, राँची।
4. वरीय लेखा अधिकारी, विनियोग लेखा अनुभाग, महालेखाकार (ले० एवं ह०) झारखण्ड का कार्यालय, राँची।
5. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची।
6. विभागीय लेखा प्रशाखा (दो प्रतियों में)।
7. संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, कर्तव्य भवन—3, नई दिल्ली।
8. संयुक्त निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं०—10012, 'D' विंग, कर्तव्य भवन—I, नई दिल्ली—110001 को उनके पत्रांक—13(11)/FCD/2025-26-(E), दिनांक—27.03.2026 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।





ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 2876

पत्रांक संख्या :- 343(SWI).

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 30/03/2026

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

विप्रा भाल
सचिव

टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्र धुर्वा, राँची, झारखण्ड-834004

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार, झारखण्ड का कार्यालय,
पोस्ट - डोरंडा, राँची ।

द्वारा- *आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य शीर्ष-2245 अंतर्गत वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-13(11)/FCD/2025-26-(E), दिनांक-27.03.2026 द्वारा विमुक्त राज्य आपदा शमन निधि (STATE DISASTER MITIGATION FUND) के प्रथम एवं द्वितीय किस्त केन्द्रांश 131,60,00,000/- (एक सौ इकतीस करोड़ साठ लाख) रुपये, इसके संगत राज्यांश 43,80,00,000/- (तैंतालीस करोड़ अस्सी लाख) रुपये सहित कुल 175,40,00,000/- (एक सौ पचहत्तर करोड़ चालीस लाख) रुपये मात्र को राज्य आपदा शमन निधि के मुख्य शीर्ष-8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-130-राज्य आपदा शमन निधि, उप शीर्ष-01-राज्य आपदा शमन निधि, विस्तृत शीर्ष-08-लेखा समायोजन, 66-अंतः लेखा अंतरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के वजतीय उपबंध से अंतरण की स्वीकृति।

18
30/03/2026

आदेश- स्वीकृत ।

- 1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के, राज्य मुख्यशीर्ष - 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उपमुख्य शीर्ष - 08-राज्य आपदा शमन निधि
केंद्रीय प्रायोजित योजना

लघुशीर्ष	राशि
101-आपदा शमन	□43,80,00,000.00
कुलराशि :-	
	□43,80,00,000.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है ।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
39S224508101010866	01 - राज्य आपदा शमन निधि	66 - अंतः लेखा अंतरण	4052 - GRANTS-IN-AID FOR STATE DISASTER MITIGATION FUND

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा ।

- 2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी VIJAY KUMAR (PRJRN001), UNDER SECT DISTER MANEGEMENT होंगे तथा राशि □43,80,00,000.00/- की निकासी Project Bld कोषागार से की जाएगी ।

- 3.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

- 4.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता , अनुदान , वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

Vijay Kumar
30/03/2026

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



ऑनलाइन स्वीकृत्यादेश संख्या :- 2875

पत्रांक संख्या :- 343(SWI)

झारखण्ड सरकार

पत्रांक दिनांक :- 30/03/2026

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग)
स्वीकृत्यादेश

प्रेषक,

विप्रा भाल
सचिव

टी०ए०डिवीजन बिल्डिंग, गोलचक्र धुर्वा, राँची, झारखण्ड-834004

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
महालेखाकार, झारखण्ड का कार्यालय,
पोस्ट - डोरंडा, राँची ।

द्वारा- *आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय : वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य शीर्ष-2245 अंतर्गत वित्त आयोग प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं०-13(11)/FCD/2025-26-(E), दिनांक-27.03.2026 द्वारा विमुक्त राज्य आपदा शमन निधि (STATE DISASTER MITIGATION FUND) के प्रथम एवं द्वितीय किस्त केन्द्रांश 131,60,00,000/- (एक सौ इकतीस करोड़ साठ लाख) रुपये, इसके संगत राज्यांश 43,80,00,000/- (तैंतालीस करोड़ अस्सी लाख) रुपये सहित कुल 175,40,00,000/- (एक सौ पचहत्तर करोड़ चालीस लाख) रुपये मात्र को राज्य आपदा शमन निधि के मुख्य शीर्ष-8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियाँ, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-130-राज्य आपदा शमन निधि, उप शीर्ष-01-राज्य आपदा शमन निधि, विस्तृत शीर्ष-08-लेखा समायोजन, 66-अंतः लेखा अंतरण में वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजटीय उपबंध से अंतरण की स्वीकृति।


30/03/2026

आदेश- स्वीकृत ।

- 1.) व्यय का विकलन मांग सं०- 39 - गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के, केन्द्रीय मुख्यशीर्ष - 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत उपमुख्य शीर्ष - 08-राज्य आपदा शमन निधि केंद्रीय योजना

लघुशीर्ष	राशि
101-आपदा शमन	□ 1,31,60,00,000.00
कुलराशि :-	
	□ 1,31,60,00,000.00

विपत्र कोड का विवरण, जहाँ से राशि की निकासी की जानी है ।

विपत्र कोड	उप शीर्ष	इकाई	योजना
39C224508101010866	01 - राज्य आपदा शमन निधि	66 - अंतः लेखा अंतरण	4052 - GRANTS-IN-AID FOR STATE DISASTER MITIGATION FUND

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपबंधित बजट प्राक्कलन से किया जायेगा ।

- 2.) राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी VIJAY KUMAR (PRJRRAN001), UNDER SECT DISTER MANEGEMENT होंगे तथा राशि □ 1,31,60,00,000.00/- की निकासी Project Bld कोषागार से की जाएगी ।

- 3.) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है ।

- 4.) महालेखाकार से प्राधिकार पत्र निर्गत करने का अनुरोध (सहायता ,अनुदान ,वैवेकिक अनुदान, नई स्थापना एवं ऋण तथा अग्रिम के मामले में)

Vijay Kumar
30/03/2026

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से